अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राजेश कुमार पुत्र पुखराजजी जीनगर बाजर भीनमाल जिला जालोर		उपखंड अधिकारी भीनमाल
प्रकरण अपील		28/2017
कम्प्यूटर आई.डी		2017/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

06.09.2017	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदक (अपीलांट) को सूचना नहीं देने पर प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे।पत्रावली 27.09.2017 को जवाब/बहस हेतु पेश हो। जिला कलेक्टर जालोर	1519-20 6/9/17
27/9/17	अपीलांट व रेस्पोडेंट अनुपस्थित। रेस्पोडेंट का जवाब डाक से प्राप्त हुआ। पत्रावली 4-10-17 को पेश हो।	
04.10.2017	अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित। रेस्पोडैन्ट का संशोधित जवाब जरिए ई मेल प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ड ने अपने जवाब में व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धुम्बडीया से संबंधित होने के कारण पत्रांक 3572 दिनांक 08.08.2017 के द्वारा उन्हे स्थानान्तरित किया गया एवं पत्र की प्रति अपीलांट को देते हुये पीएचसी धुम्बडिया से संपर्क करने हेतु लिखा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 6(1) में आवेदित पत्र दिनांक 05.06.2009 से 30.09.2006 तक की अवधि में प्राप्त नहीं होना अवगत करवाया। साथ ही संशोधित जवाब में रेस्पोडेन्ट ने अवगत करवाया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी भीनमाल द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अत: अपीलांट की अपील पत्रित की जाने की मांग की है। पत्रावली व प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चाही गई सूचना नही देने के कारण उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में 3 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई । जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुम्बडिया द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.06.2009 की प्रति रेस्पोडैन्ट के कार्यालय में किस दिनांक को प्राप्त होना तथा उक्त पत्र की प्रतिलिपि तथा पत्र आवक रजिस्टर में किस कमांक पर दर्ज हुआ व यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुम्बडिया से जारी पत्र प्राप्त नही हुआ है तो उसकी जानकारी चाही गई थी। अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के कम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जननी सुरक्षा योजना कार्य संबंधी आदेश की प्रति दिनांक 05.06.2009 की प्रति रेस्पोडैन्ट के कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार उक्त अवधि में प्राप्त नहीं होने की जानकारी दी गई तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के आवेदन पत्र को प्रभारी अधिकारी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धुम्बडीया से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 3572-74 दिनांक 08.08.17 के द्वारा अपीलांट का प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धुम्बडीया को प्रार्थना पत्र भिजवाते हुये नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जाकर अपीलांट को सूचित किया गया था।ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीनमाल ने अपीलांट को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र में आवेदित पत्र 05.06.2009 की प्रति दिनांक 27.09.2017 को भिजवाते हुए सूचित किया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदित सूचना अपीलांट को प्रदान की जा चुकी है। अत: सूचना प्रदान की जा चुकी होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। उक्त आदेश की द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर जालोर)	1705-06 4/10/17